**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर**

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :227/2021

**वादीगण–**

1. हरीभजन पुत्र तिलोकराम
2. रामभजन पुत्र तिलोकराम
3. रामलीला पुत्री तिलोकराम

जातियान–जाट निवासीगण–नया गांव, आंवलियासर, तहसील जायल (नागौर)

**बनाम**

**प्रतिवादीगण –**

1. तिलोकराम पुत्र जसाराम
   जातियान–जाट निवासीगण–नया गांव, आंवलियासर, तहसील जायल (नागौर)
2. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

**उपस्थिति :–**

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से तथा प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

**दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**निर्णय** दिनांक : 17.11.2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा **नया गांव** (आंवलियासर) तहसील जायल में खेत खसरा नं. 4 रकबा 9.3239 हैक्टेयर में 4/5 हिस्से पर रहती चली आई है। वादीगण वादपत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित खेताय जो वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज सहखातेदारी भूमि है जो पुश्तैनी बडेर की भूमि होने से वादीगण का हक अधिकार रहता रहा है। वादीगण का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं होने से व जन्म से हक अधिकार होने पर भी खातेदारी भूमि में नाम दर्ज नहीं होने तथा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ 4/5 हिस्से में सहखातेदार घोषित किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ने दिनांक 17.11.2021 को राजीनामा एवं साक्ष्य शपत्र पत्र प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प शिविर ग्राम पंचायत आवंलियासर में पेश



17.11.2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने की। राजीनामा एवं वादी हरीभजन का साक्ष्य शपथ पत्र शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा प्रकरण के संबंध में स्वंय उपस्थिति एवं राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह हरीभजन पुत्र तिलोकराम के पेश हुवे, जमाबन्दी ग्राम ग्राम **नया गावं** आंवलियासर तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 49 प्रदर्श–1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा एवं स्वंय उपस्थिति के साथ वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा एवं साक्ष्य शपथ पत्र में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा सहमति से वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 17.11.2021 के नुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 17.11.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।



सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 227/2021
जीसीएमएस नंबर–
हरीभजन वनाम् तिलोकराम वगैरह

हमारी राय में मौज़ा **नया गावं** (आंवलियासर) के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से की नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खेत खसरा नं. 4 के 4/5 हिस्से की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण ने सहखातदेारी की इस्तदुआ चाही है। अतः मौजा नया गावं के खेत खसरा नंबर 4 में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलादाराम के साथ 4/5 हिस्से में सहखातेदार घोषित कर हम वादीगण का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

**– : : आदेश : : –**

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

**1. यह है कि मौजा नया गावं के खेत खसरा नंबर 4 में वादीगण संख्या 1 से 3 कमशः हरीभजन , रामभजन, रामलीला को प्रतिवादी संख्या 1 तिलोकर के साथ 4/5 हिस्से में सहखातेदार घोषितं किया जाता है।**

निर्णय आज दिनांक 17.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

17.11.2021
(सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल



Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 227 / 2021
जीसीएमएस नंबर–
हरीभजन बनाम् तिलोकराम वगैरह

**अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तादाई**
**(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)**
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :227 / 2021

**वादीगण–**

1. हरीभजन पुत्र तिलोकराम
2. रामभजन पुत्र तिलोकराम
3. रामलीला पुत्री तिलोकराम

जातियान–जाट निवासीगण–नया गांव, आंवलियासर, तहसील जायल (नागौर)

**बनाम**

**प्रतिवादीगण –**

1. तिलोकराम पुत्र जसाराम
   जातियान–जाट निवासीगण–नया गांव, आंवलियासर, तहसील जायल (नागौर)
2. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

**उपस्थिति :–**

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से तथा प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

**दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**– : : डिक्री आदेश : : –**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता हैं।

1. **यह है कि मौजा नया गांव के खेत खसरा नंबर 4 में वादीगण संख्या 1 से 3 कमशः हरीभजन , रामभजन, रामलीला को प्रतिवादी संख्या 1 तिलोकर के साथ 4/5 हिस्से में सहखातेदार घोषित किया जाता है।**

17.11.2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)



Scanned with CamScanner

**तीज – मुबलिग – बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...17.11.2021..... को जारी की गई।

| मुदायराह | रूपया | पैसे | मुदायराह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | वजह सबूत महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत् इजराज हुक्मनामा | | | बाबत् हुराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| | | | दर0 तलबाना | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

17.11.2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)



Scanned with CamScanner

File No.



**न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर**
**पीठासीन अधिकारी– रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)**
**राजस्व वादः– 227/2021**

**वादी–**

1. हरीभजन पुत्र तिलोकराम
2. रामभजन पुत्र तिलोकराम
3. रामलीला पुत्री तिलोकराम

जातियान–जाट निवासीगण– नया गांव, आंवलियासर तहसील जायल (नागौर)

**बनाम**

**प्रतिवादीगण–**

1. तिलोकराम पुत्र जसाराम
   जातियान जाट निवासी सोनेली नया गांव, आंवलियासर तहसील जायल (नागौर)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

**दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**प्रर्थना पत्र धारा 152 सी.पी.सी. दिनांक 06.01.2022**

**निर्णय दिनांक 17.11.2021**

1. अधिवक्ता श्री गोविन्द राम ढाका वादी की ओर से

दिनांक –06.01.2022

**–:: संशोधित निर्णय ::–**

वकिल वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 152 सी.पी.सी. का पेश किया गया तथा निवेदन किया कि न्यायालय हाजा के द्वारा हस्तगत प्रकरण में निर्णय/आदेश 17.11.2021 को किया जा चुका है। उक्त निर्णय आदेश में लिपिकिय त्रुटि से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम तिलोकराम के स्थान पर प्रहलादराम दर्ज हो गया है एवं आंशिक अधुरा नाम तिलोकर रह गया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र धारा 152 सी.पी.सी. स्वीकार किया जावे तथा इसी माफिक संशोधित डिक्री आदेश जारी कर तहसीलदार जायल को पालनार्थ तहरीर जारी की जावें।

पत्रावली तलब की गई वकील वादी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र के संबंध में दलीले दी कि न्यायालय हाजा के द्वारा हस्तगत प्रकरण के निर्णय आदेश में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम तिलोकराम के स्थान पर प्रहलादराम दर्ज हो गया है एवं आंशिक अधुरा नाम तिलोकर लिपिकी त्रुटिवंश टंकित हो गया।

पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रार्थना पत्र धारा 152 सी.पी.सी. में अंकित तथ्यों की सम्पुष्टि होती है तथा वादपत्र संख्या 227/2021 हरीभजन वगैराह बनाम तिलोकराम वगैराह में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम तिलोकराम के स्थान पर प्रहलादराम दर्ज हो गया है एवं आंशिक अधुरा नाम तिलोकर सहवन से अंकित होना प्रतित होता है। जससे

06/01/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

यह स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा पारीत निर्णय आदेश में अंकित प्रतिवादी संख्या 1 का नाम तिलोकराम के स्थान पर प्रहलादराम एवं आंशिक अधुरा नाम तिलोकर गलत टंकित हो जाने से निर्णय कि पालना नहीं हो पा रही है। **"सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 152 में न्यायालय द्वारा पारीत निर्णय/डिक्रियों या आदेशों में की गई लेखन या गणित संबंधी भूलें या किसी आकस्मिक भूल यालोप से उसमें हुई गलतियां न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जाने का प्रावधान है"** अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 152 सी.पी.सी. दिनांक 06.01.2022 ग्रहण किये जाने योग्य तथा निर्णय डिक्री आदेश दिनांक 17.11.2021 में संशोधन किया जाना उचित प्रतित होता है।

**—:: आदेश ::—**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 152 सी.पी.सी. ग्रहण किये जाने योग्य होने से ग्रहण किया जाता है तथा हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा के द्वारा पारीत निर्णय ओदश दिनांक 17.11.2021 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम प्रहलादराम के स्थान पर तिलोकराम एवं आंशिक अधुरा नाम तिलोकर के स्थान पर तिलोकराम पढा जावे।

यह आदेश आज दिनांक 06/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

06/01/2022

([illegible])
स्हायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

**अतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई**
**(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)**
**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल जिला नागौर**

**राजस्व वादः– 227/2021**

**वादी–**

1. हरीभजन पुत्र तिलोकराम
2. रामभजन पुत्र तिलोकराम
3. रामलीला पुत्री तिलोकराम
   जातियान–जाट निवासीगण– नया गांव, आंवलियासर तहसील जायल (नागौर)

**बनाम**

**प्रतिवादीगण–**

1. तिलोकराम पुत्र जसाराम
   जातियान जाट निवासी सोनेली नया गांव, आंवलियासर तहसील जायल (नागौर)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

**दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**प्रर्थना पत्र धारा 152 सी.पी.सी. दिनांक 06.01.2022**

निर्णय दिनांकः– 17.112021

1. अधिवक्ता श्री गोविन्द राम ढाका वादी की ओर से

दिनांक –06.01.2022

**–:: संशोधित डिक्री आदेश ::–**

न्यायालय हाजा के द्वारा पारीत निर्णय आदेष दिनांक 17.11.2021 में निम्न प्रकार डिक्री संशोधित की जाती है–

1. प्रतिवादी संख्या 1 का नाम प्रहलादराम के स्थान तिलोकराम पढा जावे।
2. प्रतिवादी संख्या 1 का नाम तिलोकर के स्थान पर तिलोकराम पढा जावे।

यह आदेश आज दिनांक 06/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया।

06/01/2022
(रवीन्द्र कुमार) कलक्टर
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

Scanned with CamScanner